


9-1-18

कोई इपास्थित नहीं। मूल दावा खंडम
हाजरी व खंडम पैरवी में स्वारिज किया
जा चुका है, अतः प्रार्थना पर भी खंडम
हाजरी व खंडम पैरवी में स्वारिज
किया जाता है। लगावली के बाल शुभा
होकर मूल दावा के साथ संलग्न रहे।


उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज.)